P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-10* January 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व : अभी भी पूर्णता से परे

सारांश

भारतीय महिलाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, विज्ञान और तकनीकी, खेलकूद, अन्तरिक्ष ..... सभी क्षेत्रों में अपनी–अपनी कार्यक्षमता का परिचय, बखूबी दिया है परन्तु देश एवं प्रदेशों की व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9 से 12 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया है। इस मामले में हम नेपाल, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से भी पीछे है। संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण का बिल विगत दो दशकों से अटका पड़ा है, जबकि कितने ही बिल, संविधान संशोधन आये, पास हुए परन्तु महिलाओं के आरक्षण का बिल अटकना, हमारी समाज व्यवस्था का पुरूष प्रधानवादी सोच का परिणाम ही कहा जा सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्तर पर भी महिलाओं को निश्चित सीटों का कोटा तय किया जा सकता है। महिलाओं का पूर्ण रूप से सशक्तीकरण तभी संभव है जब उच्च स्तरीय राजनीतिक संस्थाओं में उनका पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व हो।

प्रेमलता परसोया
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राज. कला कन्या
महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : प्रतिनिधित्व, कार्यक्षमता, व्यवस्थापिकाओं, आरक्षण, राजनीतिक दल, सक्षम, लोकतन्त्र, संविधान संशोधन, आत्म–विश्वास, प्रधानमन्त्री, स्थानीय स्वशासन, कर्तव्यनिष्ठा, बरवूबी संसद, निष्पादन, सहभागिता

प्रस्तावना

भारतीय महिलाओं ने सरपंच से लेकर प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपति पद पर अपनी कार्यक्षमताओं का बखूबी परिचय दिया है परन्तु देश की कानून निर्मात्री संस्था संसद में महिलाओं का अभी तक 12 प्रतिशत होना एक चिन्ताजनक तथ्य है। दो दशक पूर्व राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का बिल लाया गया परन्तु वह अभी तक पारित नहीं हो पाना, सभी राजनीतिक दलों की संकुचित सोच ही कही जायेगी। आज ही नहीं, महिलाओं ने पुरूषों को सभी क्षेत्रों में प्राचीनकाल से ही और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी कन्धे से कन्धा मिलाकर सहयोग दिया था। भारत में आजादी प्राप्ति से ही महिलाओं को मताधिकार सहित पुरूषों के समान सभी अधिकार दिये गये है तथा राजनीतिक क्षेत्र के स्थानीय स्तर पर भी महिलाओं ने अपनी योग्यता–कौशल का परिचय दिया है परन्तु राजनीति के उच्च स्तरों पर क्यों महिलाओं को रोका जा रहा है, इसका ही अध्ययन इस शोध पत्र में किया जायेगा।

समस्या का चयन

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता, समाज के सभी वर्गों को देने का प्रावधान संविधान में निहित है। भारतीय महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सभी क्षेत्रों में पुरूषों के बराबर या बढ़–चढ़कर अपनी प्रतिभाओं को प्रमाणित किया है परन्तु राज्य विधायिकाओं एवं संसद में आज भी महिलाओं का क्रमशः 9 व 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही है। इस पत्र में इस का अध्ययन किया जायेगा कि समानता का दावा करने वाले देश में महिलाओं के साथ ये असमान व्यवहार क्यों हो रहा है ?

अध्ययन का उद्देश्य

विश्व के मजबूत और विशाल लोकतन्त्र, भारत में महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व अत्यधिक कम क्यों हैं, इसके कारणों का अध्ययन करना तथा उचित हक के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना। साथ ही महिलाओं को अपने राजनीतिक हक के लिए जागरूक करना ताकि वो महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने के लिए प्रयत्न करें। महिलाओं में ऐसी प्रेरणा

जाग्रत करना कि वो अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में पुरजोर तरीके से प्रयत्न करें।

साहित्यावलोकन

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व व सशक्तीकरण पर विभिन्न अध्ययन व शोध हुए है। शोध पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों का लेखन हुआ है। इस शोध पत्र हेतु सम्बन्धित पुस्तकों का अध्ययन किया गया है – डॉ. जनक सिंह मीना – भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2015 ट्रेवर ए. डेनिस – वूमन एम्पावरमेंट : (अ पाथ टू सेल्फ डवलपमेंट एण्ड इन्सपाइरेशन फॉर वूमन), ट्रेवर ए. डेनिस, 2014, सुनिल महावर – भारत में महिला सशक्तीकरण – विविध आयाम और चुनौतियाँ, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, मानव अधिकार संचयिका भाग–1, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, 2012, जया कोथाली पिल्लई – वूमन एण्ड एम्पावरमेंट, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2011, डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव – बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, डॉ. राजबाला सिंह – मानवाधिकार और महिलाएँ, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, एम.ए. अन्सारी – मानवाधिकार और महिलाएँ, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000

अध्ययन पद्धति

उक्त शोध पत्र में महिला राजनीतिक सशक्तीकरण व महिला आरक्षण बिल पर विशेषज्ञों की चर्चा व भाषण जैसे प्राथमिक स्त्रोतों तथा सम्बन्धित पुस्तकों, डॉक्यूमेंट्स, दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, पत्र–पत्रिकाओं और जर्नल्स जैसे द्वितीयक स्त्रोतो का उपयोग किया जायेगा।

परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है और ये बदलाव एक व्यक्ति से लेकर विश्व व्यवस्था तक परिलक्षित होता आया है। व्यक्ति व राज्य की भूमिका, कार्य–प्रक्रिया और प्रणाली एवं व्यवहार में नित नये परिवर्तन देखे जा सकते है। भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति भी इससे अछूते नहीं रह सके। भारतीय महिलाओं के जीवन, भूमिका, व्यक्तित्व और कृतित्व में गहरे बदलाव व विकास के प्रमाण चिर–परिचित है। पूर्व में घर की चार दीवारी तक सिमटी हुई भूमिका वाली भारतीय नारी ने आज धरती से अन्तरिक्ष तक तथा परिवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विशाल संस्था तक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, खेलकूद, विज्ञान व तकनीकी ..... सभी क्षेत्रों में अपनी सक्षम भूमिका का प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक विकासोन्मुख कार्यक्रम क्रियान्वयन में भारतीय महिलाओं ने प्रभावी, सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा भारतीय समाज में सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण तथा पुनर्निर्माण में महिलाओं की अमिट और अविस्मरणीय भूमिका स्वीकार की गई है। यद्यपि मध्यकाल के समय में विभिन्न कारणों से स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति व गरिमा में गिरावट आई परन्तु 19वीं शताब्दी में राजाराम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, विवेकानन्द, दयानन्द, सरस्वती, सावित्री बाई फुले ..... सरीखे समाज सुधारकों ने समाज सुधार व पुनर्निर्माण का कार्य किया तो महिलाओं की सामाजिक व अन्य स्थितियों में सुधार प्रारम्भ हुआ। अंगेजों से आजादी प्राप्ति के बाद भारत के नव निर्मित संविधान में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का स्थान दिया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब के सद्प्रयत्नों से भारतीय महिलाओं को संविधान द्वारा पुरषों के समान सभी तरह के मानवाधिकार दिये गये जबकि यूरोपीय महिलाओं को मताधिकार के लिए भी एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनु.–14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनु.–15), अवसर की समानता (अनु.–16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु. 39 घ) की गारण्टी देता है। अनु. 15(3) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने [अनु. 51 (ए) (ई)] और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रस्तूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है (अनु. 42)।[1] संविधान प्रदत्त अधिकारों तथा सुविधाओं द्वारा महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आये है, इनका सभी दृष्टिकोणों से सशक्तीकरण हुआ है। ये प्रमुख सत्य है कि जहाँ भारतीय महिलाओं को अपनी प्रतिभा व क्षमता दिखाने का अवसर मिला है, वहाँ इन्होनें मिशालें ही प्रस्तुत की है। एक लिपिक से लेकर ब्यूरोक्रेसी के उच्चतम पदों पर महिलाओं ने कुशलतापूर्वक कार्य करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। तुलनात्मक रूप से महिलाओं में अधिक ईमानदारी भी देखी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सिर्फ प्रतिभा और कड़ी मेहनत की दरकार होती है, उनमें उन्हें कोई नहीं रोक पाता। मिसाल के तौर पर आईटी, जिसके कामगारों में महिलाओं का प्रतिशत 30 फीसदी है, लेकिन हर क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ रही है। भारतीय कॉर्पोरेट जगत में वे टॉप पोजीशन में है। वे अपनी कम्पनी चला रही है, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डील कर रही है, पूँजी बाजार की दिग्गज वकील है, शेफ है, पी.एस.यू. की प्रमुख है, मार्केटिंग के मामले में उनका सानी नहीं है।[2] आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को अवसर मिला है परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति सन्तोषप्रद नजर नहीं आती है।

यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने अपनी क्षमताओं का लौहा मनवाया है। सबसे निचले स्तर पर सरपंच व पंच के पद से लेकर सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्री के कर्तव्यों में भी महिलाओं की प्रतिभा ने 'मील के पत्थर' स्थापित किए है। पहले राजनीतिक क्षेत्र महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था क्योंकि प्रकृति प्रदत्त महिलाओं के गुणों को राजनीतिक छल–कपट जैसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। यद्यपि स्वतन्त्रता आन्दोलन में भारतीय महिलाओं ने स्वतन्त्रता सेनानियों के कन्धे से कन्धा मिलाकर सहयोग दिया था। कस्तूरबा गाँधी, विजय लक्ष्मी पण्डित, अरूणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, मीरा बेन, कमला नेहरू, मेडम भीमा जी कामा, सुचेता कृपलानी, रानी लक्ष्मी बाई, सावित्री बाई फुले आदि के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद

भी जिन पदों पर महिलाओं ने कार्य किया है वह बेहतर तरीके से किया है।

इन्दिरा गाँधी विश्व में आयरन लेडी ऑफ एशिया कही जाती है अपनी योग्यता के कारण ही जिन्होनें प्रधानमन्त्री के रूप में भारत को न केवल परमाणु ताकत बनाया अपितु बांग्लादेश का निर्माण कराकर विश्व का भूगोल ही बदल दिया। मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रियों के रूप में भी भारतीय महिलाओं ने अपनी भूमिका का श्रेष्ठतम निर्वाह किया है। वर्तमान में रक्षा मन्त्री जैसा महत्वपूर्ण पद भी निर्मला सीतारमण द्वारा सुशोभित है और उन्होने सुखोई – 30 जैसा विमान उड़ाकर प्रमाणित कर दिया कि महिलाएँ कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता रखती है। परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि भारत में आज भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारत दक्षिण एशिया के नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि महिलाओं के राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया अर्थात् मतदान करने का प्रतिशत अधिक होने के बावजूद महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इस सर्वेक्षण में यह भी दृष्टिगत हुआ कि रवाण्डा जैसे विकासशील देश में भी महिलाओं का प्रतिशत भारत की तुलना में बहुत अधिक है। 2017 में रवाण्डा की संसद में 60% महिला प्रतिनिधि थी। अर्न्तसंसदीय यूनियन (IPU) और संयुक्त राष्ट्र (UN) महिला रिपोर्ट के हवाले के अनुसार 'राजनीति में महिलाएँ 2017' सर्वे में कहा गया कि लोकसभा की 542 सीटों में 64 महिलाएँ अर्थात् 11.8 प्रतिशत, राज्य सभा के 245 सदस्यों में 27 महिलाएँ अर्थात् 11 प्रतिशत महिलाएँ थी। अक्टूबर, 2016 के अनुसार समस्त देश की राज्य व्यवस्थापिकाओं में कुल 4,118 विधायकों में मात्र 9% महिलाएँ थी।[3] लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर यह माना गया कि शिक्षा एवं अवसरों की समान स्तर पर प्राप्ति तथा राजनीतिक क्षेत्र में सशक्तिकरण ही वास्तविक प्रयत्न है। चूँकि भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण को अपनाया गया है, इसमें त्रिस्तरीय फार्मूला बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत किया गया था। इस **त्रिस्तरीय फार्मूले** को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है –

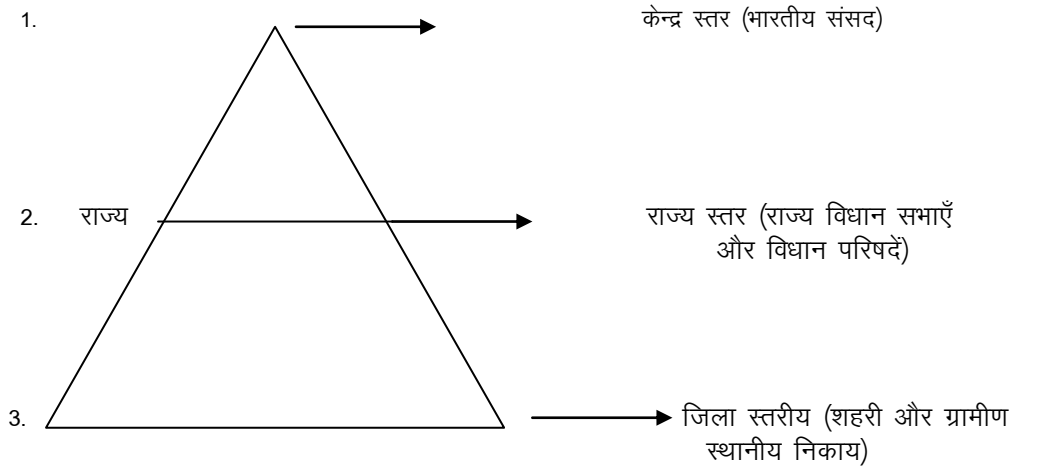

73वें तथा 74वें संविधान संशाधनों द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में यह प्रयत्न अति कारगर साबित हुआ। राजस्थान सहित 10–15 राज्यों में स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। वैसे भी राजस्थान पंचायती राज के क्षेत्र में 'पायोनियर' राज्य कहा जाता है। जब यूपीए सरकार मे पंचायती राज में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण पर, कांग्रेस की नेता अम्बिका सोनी ने इसे 'महिला सशक्तीकरण' के क्षेत्र में एक सक्रिय कदम कहा था। वास्तव में चार दीवारी में रहने वाली महिलाओं ने जब राजनीतिक सहभागिता का अवसर मिला तो उन्होनें अपनी सामर्थ्य का खूब परिचय दिया। राजनीतिक क्षेत्र के निम्न स्तर पर सरपंच, जिला प्रमुख, नगरपालिका चेयरमेन के पद अधिक चुनौतियों से भरे माने जाते है और इन पर नारी शक्ति ने सफलतापूर्वक कार्य करके अपनी क्षमताओं का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है।

लेकिन इसी के साथ राज्य की विधायिकाओं व देश की संसद पर दृष्टि डालें तो महिला संख्या की दृष्टि से निराशाजनक स्थिति ही नजर आती है क्योंकि अभी भी भारतीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका में महिलाओं का प्रतिशत 11–12 के बीच ही अटका हुआ है। राजस्थान जैसे राज्य की विधान सभा में पिछले 15 वर्षों में महिला विधायकों की संख्या बहुत कम रही है जो इस तालिका में देखी जा सकती है –

(राजस्थान में पिछली चार विधानसभाओं में महिला विधायक)

क्र.सं.	वर्ष	महिला विधायकों की संख्या	प्रतिशत
1.	2003	13	6.5
2.	2008	27	13.5

3.	2013	25	12.5
4.	2018	22	11

29 राज्यों व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों से युक्त इतने विशाल देश में आज एकमात्र महिला मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी है। राज्यपालों पर दृष्टि डाली जाये तो भी सन्तोषजनक स्थिति सामने नहीं आती है, अभी गोआ में मृदुला सिन्हा, झारझण्ड में द्रौपदी मुर्मु, मध्य प्रदेश में आनन्दी बेन पटेल, मणिपुर में नजमा हेपतुल्ला, पॉण्डिचेरी में किरण बेदी, उतराखण्ड में बेबीरानी मौर्य, राज्यपालों के पदों पर मात्र 7 महिलाएँ सुशोभित है।

भारतीय जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था 'संसद' में भी महिलाओं की संख्या अति अल्प ही नजर आती है। अब तक 16 लोकसभा के चुनाव 2014 तक सम्पन्न हो चुके है जिनमें प्रथम से लेकर सौलहवीं लोकसभा तक महिला सांसदों का प्रतिशत 4.5 से 12.15 तक ही पहुँच पाया है जो कि लोकतान्त्रिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है –

(1952 से 2014 तक महिला सांसद)

क्र.सं.	वर्ष	महिला सांसद	प्रतिशत
1.	1951	22	4.50
2.	1957	22	4.50
3.	1962	31	6.28
4.	1967	29	5.58
5.	1971	28	5.41
6.	1977	19	3.51
7.	1980	28	5.29
8.	1984	43	7.95
9.	1989	29	5.48
10.	1991	39	7.30
11.	1996	40	7.37
12.	1998	43	7.92
13.	1999	49	9.02
14.	2004	45	8.29
15.	2009	59	10.87
16.	2014	66	12.15

भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होना महिला हितों पर कुठाराघात ही कहा जा सकता है। बहुत पहले ही पश्चिमी राजनीतिक विचारक जे.एस. मिल ने कहा था कि कानून निर्मात्री संस्थाओं मे ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखना होगा, ताकि वो महिला हितों और संरक्षण के कानूनों का निर्माण करने पर बल दे सकें व कानून बनवा सकें।

इसी तरह से संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा में महिलाओं की स्थिति लगभग लोकसभा जैसी ही है, अभी तक महिलाओं की संख्या वहाँ भी मात्र 11.4 प्रतिशत ही है, जिसे निम्न ग्राफ से समझा जा सकता है –

विगत 7 दशको में राज्य सभा में महिलाओं का प्रतिशत

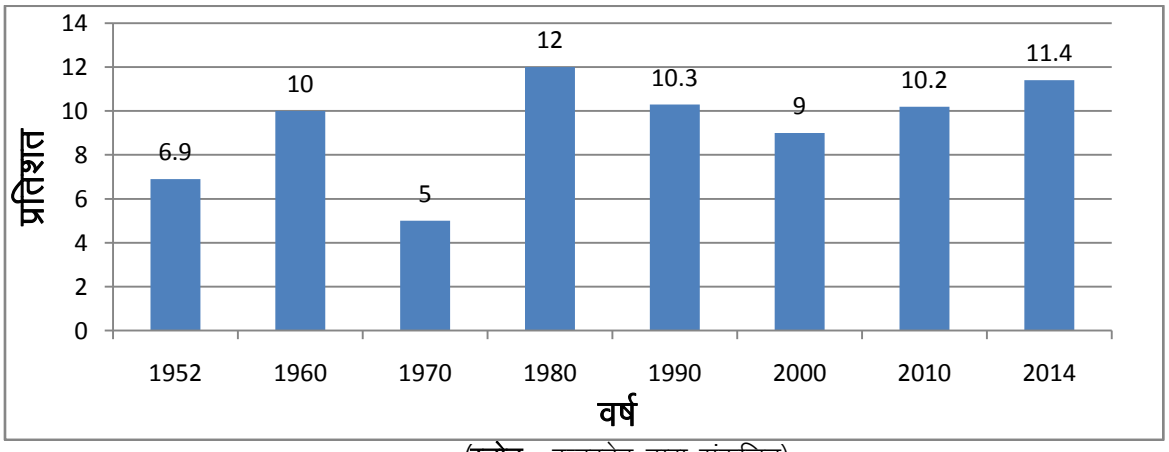

(**स्त्रोत** : इन्टरनेट द्वारा संकलित)

भारत, ग्लोबल स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व के परिप्रेक्ष्य में 108 वें पायदान पर अवस्थित है जबकि हमसे सभी क्षेत्रों में पिछड़ा माने जाने वाला पाकिस्तान भी 66वें पायदान पर आता है। अपने पड़ौसी राष्ट्रों से भारत, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कितना पीछे है, इसे इस तालिका द्वारा समझा जा सकता है –

क्र. सं.	देश	विश्व स्तरीय रैंकिग	महिलाओं का प्रतिशत
1	नेपाल	24	33.2 प्रतिशत
2	चीन	55	23.4 प्रतिशत
3	पाकिस्तान	66	20.7 प्रतिशत
4	बांग्लादेश	71	19.7 प्रतिशत
5	भारत	108	12 प्रतिशत
6	श्रीलंका	131	5.8 प्रतिशत

(स्त्रोत – इन्टरनेट विभिन्न स्त्रोतों से संकलित)

भारत जैसा सक्षम व विशाल लोकतान्त्रिक देश विश्व में आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य दृष्टिकोणों से बहुत अच्छी स्थिति में है, फिर महिला प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में ये आंकडे उचित प्रतीत नहीं होते। जबकि भारतीय महिलाओं की कार्यक्षमता व सहभागिता प्रारम्भ से ही राष्ट्र व समाज निर्माण में परिलक्षित होती आई हैं।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गॉधी ने उन्हे अवसर दिया और अशिक्षित व मुठ्ठी भर शिक्षित महिलाओं ने भी दमखम से आन्दोलन में भाग लिया। गॉधी ने बार बार रेखांकित किया – ''भारत की स्त्रियों की भागीदारी के बिना हम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते थें''।[5]

संविधानवेताओं ने महिलाओं की ऐतिहासिक गरिमा को देखकर उन्हीं उन्हें समान अधिकार दिये थे पर वे पुरूषों के बराबर नहीं, विशेष है। वे अपने प्राकृतिक और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के कारण समाज में पुरूष से अधिक योगदान करती हैं। इसलिए संविधान में महिलाओं के लिए विशेष शब्द का प्रयोग होना चाहिए।[6] ये भी सत्य है भारत में महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लौहा मनवाया है और राजनीतिक क्षेत्र में खासकर क्षमताएँ प्रदर्शित करने के बावजूद भी महिलाओं की संख्या संसद में 11–12 प्रतिशत को पार नहीं कर पाई है। यह स्थिति निम्न सदन, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सांसदों को चुना जाता है और ऊपरी सदन जिसमें राज्य विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा सांसदों को चुना जाता है, दोनो ही सदनों में देखी जा सकती है। भारतीय राजनीति के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर अपनी कार्यक्षमता की मिसाल पेश कर चुकी निम्न महिला राजनेताओं का जिक्र करना यहॉ आवश्यक होगा, इन्दिरा गॉधी,सोनिया गॉधी, प्रतिभा पाटील, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, वृंद्धा करात, मायावती, जयललिता, महबूबा मुफ्ती, शीला दीक्षित, पुरनदेश्वरी, वसुन्धरा राजे, सुप्रिया सूले, संगमा अगाथा, किरण बेदी.....आदि। जब यह सिद्ध हो चुका कि महिला और पुरूषों की बुद्धि स्तर और क्षमता में अपवाद स्वरूप क्षेत्रों को छोडकर कोई अन्तर नहीं है तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व आज तक नही मिल पाया है इस क्या कारण हो सकता हैं ?

इसमें हमारे समाज व राजनीतिक दल, दोनों की मंशा पर स्वाभाविक ही सन्देह उत्पन्न होता हैं। संविधान निर्माण से लेकर अब तक लगभग 120–125 संविधान संशोधन यथा आवश्यकता हो चुके है तो महिला आरक्षण जैसा विधेयक अभी तक क्यों अधर में लटका हुआ है ?

महिला आरक्षण विधेयक जिसमें राज्य व्यवस्थापिकाओं तथा संसद में महिलाओं के लिए मात्र 1/3 (एक तिहाई) सीटों के आरक्षण का प्रावधान हैं परन्तु यह बिल अभी तक संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया हैं। संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा में यह बिल पारित हो गया था परन्तु लोकसभा में अटक गया। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक हो जाते है। भारत की आधी आबादी आजादी के 70 सालों के बाद भी 1/3 राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का इन्तजार कर रहीं हैं अन्य देशों मे भी महिलाओं को व्यवस्थापिका में संविधान द्वारा राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की हुई है।

जैसेः–	अर्जेण्टीना	–	30 प्रतिशत
	पाकिस्तान	–	30 प्रतिशत
	अफगानिस्तान	–	27 प्रतिशत
	बांग्लादेश	–	10 प्रतिशत

भारत में भी सांवैधानिक प्रावधान हेतु महिला आरक्षण विधेयक को अतिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक रास्ता और भी है जो स्केण्डिनेवियन राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया है। इन देशों में इनके राजनीतिक दलों द्वारा ही कुछ प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जैसे :–

स्वीडन	–	40 प्रतिशत
नार्वे	–	38 प्रतिशत
डेनमाक्र	–	34 प्रतिशत
फिनलैण्ड	–	34 प्रतिशत
आइसलैण्ड	–	25 प्रतिशत

उक्त देशों के विचार को ग्रहण कर भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा भी महिला राजनीतिक आरक्षण या प्रतिनिधित्व के प्रति दरियादिली दिखाकर अन्य राष्ट्रो के सम्मुख मिसाल पेश की जानी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश होने का दम भरता है परन्तु आधी आबादी के राजनीतिक हक के मामले में लोकतान्त्रिक तरीके को अपनानें में बहुत शिथिल राष्ट्र प्रतीत हो रहा हैं। एक तरफ भारत द्वारा यह सक्षम उदाहरण विश्व के सम्मुख रखा गया कि आजादी मिलते ही संविधान के द्वारा महिलाओं को संघर्ष किए बिना ही मताधिकार का समान अवसर प्रदान किया गया तथा समान काम के लिए समान वेतन व अवसरों की समानता भी, अनुच्छेद–16 के द्वारा दी गई। ध्यातव्य है कि आर्थिक क्षेत्र के अवसरों के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास तीव्र गति से बढ़ा तथा उच्च से उच्च पदों पर महिलाओं ने ईमानदारी पूर्वक और पूरी निष्ठा तथा लगन से कर्तव्यों का निष्पादन भी किया। जब समाज और परिवार की रीढ़ महिला को ही माना जाता है तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में उच्च स्तर पर इनके अवसरों को सीमित और बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

अभी हाल ही में सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का 124वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और मजेदार बात ये रही कि लोकसभा तथा राज्य सभा में एक–एक दिन में बहस करके बिल को पास भी कर दिया गया। कई राजनीतिक दलों ने उक्त बिल की मंशा, प्रक्रिया व समय पर सन्देह भी जाहिर किया परन्तु बिल पास करन में अपना समर्थन अवश्य दिया। मात्र तीन दिन में केबिनेट मन्जूरी से लेकर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से ये आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत वाला बिल पारित हो गया परन्तु महिलाओं के लिए राज्य विधायिका तथा संसद में एक–तिहाई सीटों के आरक्षण का बिल दो दशकों से संसद के दोनों सदनों के बीच फुटबाल बना हुआ हैं। इस बिल पर सभी दल एकमतता का इजहार नहीं कर रहे, इसके पीछे पुरूष प्रधानता की भावना से बिल्कुल इन्कार नहीं किया जा सकता। कानूनी निर्मात्री संस्था में उचित मात्रा में महिला प्रतिनिधि होंगी तभी वो अपने वर्ग के लिए सरंक्षण का कार्य पायेंगी।

राजनीति के शीर्ष स्तर पर अल्प मात्रा में विराजमान महिलाओं को इस महिला आरक्षण बिल के लिए दबाव बनाया जाना चाहिये वरन् राजनीतिक दलों से निश्चित मात्रा में महिला प्रतिनिधियों को टिकट दिया जाना तय करवाना चाहिए। जब विधायिकाओं और संसद में महिला प्रतिनिधित्व 40–50 प्रतिशत होगा तो भारत के विकास की रफ्तार और तीव्र होगी तथा भारतीय राजनीति की दिशा व दशा सकरात्मक होगी। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के पुरूष राजनेताओं को अपनी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होगी यदि किसी

भी राजनेता से व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर पूछा जाये तो उनका प्रत्युत्तर यही होता है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाना चाहिए परन्तु संसद में जब भी उसे प्रस्तुत किया गया तो, उसका हश्र हमेशा से एक ही तरह का हुआ है। आज किसी भी संस्था में महिलाओं की प्रशसांत्मक भूमिका देखी जा सकती है यहॉ तक कि शैक्षणिक परिणामों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें छात्राएँ ही अधिकतर बाजी मारती आई हैं। मैरिट लिस्टों में प्रथम चार–पॉच नाम छात्राओं के देखे जाते रहते है, विज्ञान व तकनीकी, कला, संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, अन्तरिक्ष, खेलकूद, पत्रकारिता, व्यवसाय, राजनीति ..... सभी में महिलाओं की काबिलियत देखी गई है। परन्तु राजनीति के उच्च स्तर पर महिला वर्ग को उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना सुदृढ़ समाज के लिए घातक अवश्य हैं। महिलाओं की क्षमता, केवल वर्तमान में ही नहीं है अपतु उनका इतिहास भी उनकी योग्यताओं की गवाही देता है, जैसे कि मुदुला सिन्हा ने अपने स्तम्भ लेख में लिखा है कि भारतीय महिलाओं का अपना इतिहास और संस्कार रहा है। सबसे पुरानी सनातनी संस्कृति में स्त्री और पुरूष गाड़ी के दो पहिए के समान सिद्वान्त और व्यवहार में थे। जीवन के तीनों पुरूषार्थ, अर्थ, धर्म और काम में स्त्री की भागीदारी बराबर की थी। वह घर के भीतर और बाहर के निर्णय कार्यो में भाग लेती थी। युद्व स्थल पर भी साथ–साथ, और शास्त्रार्थ में भी।[7]

अब यह ऐसा अनुभूत किया जा रहा है कि इस राजनीतिक सत्ता व संगठन में महिलाओं को सह–भागीदारी मिलना विश्व मानवता के हित में अत्यन्त आवश्यक है, ताकि राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें। इस सहभागी संवर्धन के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र की व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की अधिक उपस्थिति हो, तथा इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुरूषों पर पड़ता रहे और वे एक पक्षीय पुरूष हित में निर्णय न ले सकें तथा इसमें सहराजनीतिक सन्तुलन बना रहे जिसमे पुरूष का भद्र निरकुंश सत्ता मद में उन्नमुक्त न हो सके।[8]

निष्कर्ष और सुझाव

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि भारत में समानता पर आधारित समरतामूलक समाज की स्थापना तभी होगी राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग सुदृढ़ व सशक्त होगा। महिला सशक्तीकरण, महिला समानता, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय की अवधारणाएँ तभी सार्थक हो सकेंगी जब महिलओं को राजनीतिक रूप से सबल बनाया जायेगा तभी पुरूष शासित सोच से परिपूर्ण समाज में समग्र विकास व सबका विकास होगा। आज की महिला को स्वर्णिम अलंकारो की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी दैवीय उपमा की जरूरत नहीं है अपितु उसे राष्ट्रीय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा मानकर तथा राष्ट्रीय प्राणी मानकर राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहभागी बनाया जाना चाहिए। आज महिलाओं का सरकार व उसके द्वारा प्रस्तावित कानूनों, सुविधाओं से आर्थिक व शैक्षिक सशक्तीकरण हुआ है परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भागीदारी पूर्णता पाने को अभी आतुर हैं। जे.एस. मिल के कथनानुसार महिलाओं को निर्णय निर्माण व कानूनी निर्मात्री संस्थाओं में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व निश्चित करना होगा, तभी महिला हितों से सम्बन्धित कानून निर्माण संभव होगा। महिलाओं ने पंचायती राज में अवसर दिये जाने पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर दिखाया है, सरपंच से लेकर महापौर पदों तक उन्होनें आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन की मिसालें पेश की है। अब आवश्यकता है उच्च स्तरीय संस्थाओं में महिलाओं को उचित मात्रा में उनका हक मिले। जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद तथा विधानसभाओं में नहीं बढ़ेगा तब तक भारत में राजनीतिक न्याय की स्थापना नहीं मानी जायेगी।

इसके लिए हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों को सकरात्मक रूप सोचकर महिला आरक्षण बिल को पास करवाना चाहिए ताकि राजनीति में राज + नीति का सन्तुलन बना रहे। या फिर सभी राजनीतिक दलों को अपने संगठन के नियमों में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कम से कम 35–40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जायेगा। ऐसी नीतियॉ निर्धारित हो जाये तो महिला आरक्षण जैसे बिलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महिलाओं को टिकट वितरण के समय पारिवारिक आधार व जाति–धर्म के आधार मात्र को नही देखा जाये वरन योग्यता को ही टिकट वितरण का प्रमुख आधार माना जाये। जब राजनीतिक दल महिलाओं को ही टिकिट का जिन क्षेत्रों के लिए वितरण करेंगें तो उन्हें आगे आने से कोई नहीं रोक पायेगा और पहले से जा महिलाएँ राजनिति में है उन्हें इस क्षेत्र में और सक्रिय तथा निष्पक्ष रूप से प्रयत्न करने चाहिए अपनी बहनों के अधिकार के लिए। आज के दौर में सर्वाधिक चर्चित और प्रतिष्ठित शब्द महिला सशक्तीकरण माना जा सकता है परन्तु इसके सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य पर ही अधिकतर ध्यान दिया जाता है और वास्तव में क्रियान्विति का पक्ष अभी भी बहुंत कुछ बाकी है। हॉं, जहॉं किसी पुरूष राजनेता की सीट पर किसी प्रकार का संकट यदि मंडरा रहा हो तो तुरन्त वह पत्नी या पुत्री के लिए सीट दिलवाने का प्रयत्न करने लग जाता है परन्तु साधारण स्थिति में हर वर्ग का पुरूष, महिला से उच्चतर रहना चाहता है। इसमें कहीं न कहीं हमारी पुरानी पितृ सत्तात्मक सोच भी आढ़े आती है। आज महिला ने सभी क्षेत्रों में अपनी कार्यक्षमता का परिचय देकर दिखा दिया है कि वह किसी भी सूरत में पुरूषों की क्षमता से कम नहीं है, बस आवश्यकता है उन्हें सही मात्रा में अवसर उपलब्ध करवाने की। सत्य ये है कि महिलाएँ किसी मुश्किल हालात में भी धैर्य से किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है, आनन–फानन में नहीं। अब समाज के हर वर्ग को महिलाओं के उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने में सहयोग करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरूरत है कि महिलाएँ कुदरत द्वारा महत्वपूर्ण योग्यताओं से नवाजी गई है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

डॉ. जनक सिंह मीना (संपा.)– भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2015, पृष्ठ–7

इण्डिया टुडे, 11 दिसम्बर, 2013, पृष्ठ – 13
Economic Survey 2018 from www.financialexpress.com
इन्टरनेट द्वारा संकलित
दैनिक भास्कर 26–01–2009, संपादकीय पृष्ठ
दैनिक भास्कर 26–01–2009, संपादकीय पृष्ठ
दैनिक भास्कर 26–01–2009, संपादकीय पृष्ठ
एम.ए. अन्सारी – महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ – 329
अन्य पत्र–पत्रिकाएँ – वर्ल्ड फोकस, योजना, कुरूक्षेत्र, दैनिक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर
इन्टरनेट की विभिन्न साइटें।